प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी/महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेंट/अपर मिशन निदेशक/ मिशन निदेशक

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/565-2 दिनांक 24-04-2018 एवं संशोधित पत्र संख्या SPMU/NHM/ M&E/2018-19/18/896-2 दिनांक 04-05-2018 का अवलोकन करना चाहें। पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 17–19 मई 2018 को भ्रमण दल द्वारा जनपद कुशीनगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इंगित किये गये बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद कुशीनगर द्वारा संज्ञान लेते हुए कमियों को समयानुसार दूर करने हेतु सम्बन्धित को दिनांक 28.05.2018 को पत्र निर्गत किया जा चुका है (पताका–क)। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. डा0 वेद प्रकाश, महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री परमेश कुमार वर्मा, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. श्री अमित अवस्थी, कार्यक्रम सहायक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है–

क्र. स.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जिला संयुक्त चिकित्सालय	चिकित्सालय में जल निकासी की विधिवत् व्यवस्था न होने के कारण परिसर में जल भराव की समस्या बनी रहती है। इस बारे में ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय परिसर का निर्माण लेवल से लगभग 2 फिट नीचे है। जनपद में नव निर्मित 100 शैय्या युक्त एम0सी0एच0 विंग का निर्माण भी सतह से दो फिट नीचे किया गया है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से अनुरोध पत्र राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।	राज्य स्तर–इंजीनियरिंग अनुभाग
		महिला वार्ड के शौचालय में ताला लगा था। ताला खुलवाने पर पाया गया कि शौचालय में पानी की आपूर्ति नहीं है।	हास्पिटल मैनेजर को निर्देशित किया गया कि वह समस्त कमियों को तत्काल दूर कर लाभार्थियों हेतु शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/हास्पिटल मैनेजर
		वार्ड में साफ–सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली हुई थी।	वार्ड में साफ–सफाई की उचित व्यवस्था कराने हेतु हास्पिटल मैनेजर को निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /हास्पिटल मैनेजर
		बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था नहीं थी।	एजेन्सी का बिल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात् ही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान कराये जाने का सुझाव दिय गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /जिला क्वालिटी एश्योरेंस कन्सलटेंन्ट
		जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
		PICU वार्ड में एक वेंटिलेटर और फ्यूज पम्प विगत 02 माह से खराब है एवं आक्सीजन पाईप की समस्या है।	पुष्पा इंटरप्राईजेज को पत्र लिखने एवं आक्सीजन पाईप की समस्या का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करने हेतु समबन्धित को सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

		चिकित्सालय के अंदर, ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में चिकित्सकों के कमरे के अंदर–बाहर लोगों की भीड़ लगी थी जिससे इलाज के लिए आए लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।	सुरक्षा गार्ड रखे जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /हास्पिटल मैनेजर
		प्रयोगशाला एवं एक्स–रे कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा पी0पी0ई0 का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।	प्रयोगशाला एवं एक्स–रे कक्ष में कार्यरत कर्मियों को पी0पी0ई0 के प्रयोग करने से होने वाले लाभों एवं प्रयोग न करने पर होने वाली हानियों के बारे में बताया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /हास्पिटल मैनेजर
		चिकित्सालय भवन में कहीं भी शिकायत पेटिका नहीं पाई गई।	चिकित्सालय भवन में शिकायत पेटिका लगाने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /हास्पिटल मैनेजर
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेबुआ नौरंगिया	चिकित्सालय में प्रतिमाह लगभग 180 प्रसव होते हैं फिर भी मात्र एक स्टाफ नर्स कार्यरत है।	और स्टाफ नर्स का प्रबन्ध करने हेतु कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी
		लेबर रूम में प्रसव हेतु तीन टेबल हैं किन्तु उनके बीच गोपनीयता हेतु पर्दे की व्यवस्था नहीं थी।	पर्दे की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
		रजिस्टर में प्रसवों की जानकारी पूर्णतया ठीक प्रकार से अंकित नही की गई थी।	जानकारी पूर्णतया ठीक प्रकार से अंकित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी /स्टाफ नर्स
		विटामिन–के की खुराक नवजात को न दिया जाना।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह अन्टाईड फण्ड से विटामिन–के की खरीद सुनिश्चित करके बच्चों को खुराक उपलब्ध करायें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /प्रभारी चिकित्साधिकारी
		जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को भोजन नहीं दिया जा रहा है।	भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /प्रभारी चिकित्साधिकारी
		वैक्सीन थर्ड स्टेज की होने के बाद भी उपयोग की जा रही थी।	ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया कि वह भविष्य में जाँच ले कि कोई भी वैक्सीन थर्ड स्टेज की न हो।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ ए.एन.एम.
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तमकुही	प्रसव रजिस्टर में प्रसवों की जानकारी पूर्णतया ठीक प्रकार से अंकित नही की गई थी। एम0सी0टी0एस0 सं0 का विवरण रजिस्टर में दर्ज नही था।	प्रसव सम्बन्धी समस्त सूचनाओं को ठीक प्रकार से रजिस्टर में अंकित करने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी /स्टाफ नर्स
		जिला स्तर से सप्लाई न होने के कारण विटामिन–के की खुराक बच्चों को नहीं दी जा रही थी।	रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध बजट से विटामिन–के की खरीद करने हेतु सुझाव दिया गया।	सी0एम0ओ0/प्रभारी चिकित्साधिकारी
		महिलाओं को लगाई जाने वाली इंटरवल आई0यू0सी0डी0 तथा पी0पी0 आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। इस लिए अन्य रजिस्टर में अंकन किया जा रहा है।	रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	सी0एम0ओ0/प्रभारी चिकित्साधिकारी
4	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस–शहडौली	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का माइक्रो प्लान सत्र स्थल पर उपलब्ध नहीं था।	सत्र स्थल पर माइक्रो प्लान की आवश्यकता एवं महत्व को बताया गया।	ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्साधिकारी
		गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच चटाई बिछाकर जमीन की जा रही थी।	महिलाओं की पेट की जांच करने हेतु तख्त की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्साधिकारी
		लाभार्थियों को दी जाने वाली दवाईयां टेबल पर अस्त व्यस्त दशा में पाई गई।	ए0एन0एम0 द्वारा दवाईयां ठीक प्रकार से रखवाई गई एवं भविष्य में व्यवस्थित तरीके से दवाईयां रखने की सलाह दी गई।	ए0एन0एम0

		आशा कार्यकत्री के पास उपलब्ध ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (वी.एच.आई.आर.) को पेंसिल से अंकित किया गया था तथा सूचनायें (विशिष्ट परिवार संख्या) पूर्ण रूप से अंकित नहीं थी।	बी0सी0पी0एम0 एवं आशा संगिनी को निर्देशित किया गया कि वह ब्लाक की जिन आशाओं की पंजिकाओं इस प्रकार की कमी पायी जाये उसे तत्काल दूर किया जाये एवं समस्त सूचनायें पेन से अंकित की जाये।	आशा/आशा संगिनी/ए.एन.एम./बी0सी0पी0एम0

उपरोक्त रिर्पोट की विस्तृत आख्या पत्रावली में रक्षित है।

सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण

जनपद : कुशीनगर, **दिनांक :17–19 मई 2018**

दिनांक 17.05.2018 को राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण टीम द्वारा जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के शत–प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति निर्धारित करने हेतु डा0 एस0पी0 सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गयाा,(प्रतिभागी सूची संलग्नं)।

प्रतिपूर्ति राशि भुगतान–जनपद में समस्त ब्लाक स्तरीय चिकितसा अधीक्षिको/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षिको को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आशाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के सम्बन्ध में, माह अप्रैल 2018 में एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं को शून्य भुगतान के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा रोष प्रकट किया गया। महोदय द्वारा स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया गया कि आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक माह की 20 तारीख को समस्त बी0सी0पी0एम0 एवं समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा अधीक्षिको/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षिको की एक बैठक जिला स्तर पर आयेजित की जाएगी।

रोगी कल्याण समिति –अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त ब्लाकों को 04 माह की बी0ए0पी0 निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा अधीक्षको/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षको को निर्देशित किया कि बी0ए0पी0 में आवंटित धनराशि को नियमानुसार व्यय करना प्रारम्भ कर दें। रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत आवंटित धनराशि (प्रथम किश्त) का जुलाई 2018 तक व्यय करना सुनिश्चित कर ले। साथ ही उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति से अनुमोदन अवश्य प्रदान करें। इसके साथ ही शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठको के कार्यवृत्त रोगी कल्याण समिति के रजिस्टरों पर अंकित अवश्य करें।

प्रशिक्षण–आशाओं के समस्त प्रशिक्षणों को 15 जून, 2018 तक अवश्य पूर्ण करा ले, साथ ही उक्त प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय को एफ0एम0आर0 में बुक करा दें।

- उपरोक्त बिन्दु के साथ ही जनपद एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यशाला हेतु कमिटेड किये गये धनराशि को उपयोगित करते हुए प्रशिक्षण सम्पन्न करा ले।
- सास बहू सम्मेलन ससमय कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद स्तर पर फैसिलिटी ब्रान्डिंग हेतु आई0ई0सी0 का बजट है, वह जनपद एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयो में नियमानुसार उपयोगित करते हुए वहां पर आई0ई0सी0 गतिविधियां कराना सुनिश्चित करें।
- एच0एम0आई0एस रिपोर्टिंग सही प्रकार से न हो पाने की स्थिति में, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह की 20 तारीख को सभी बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं ब्लाक के चिकित्साधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी

की साथ बैठक का आयोजन किया जायेगा। उक्त बैठक में एम0सी0टी0एस से आंकडो का परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर अंकित किया जायेगा।

- जनपद में रोगियों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कृष्णा डायग्नोस्टिक सेन्टर को नामित किया गया है। उक्त डायग्नोस्टिक सेन्टर द्वारा माह अप्रैल 2018 से डायग्नोस्टिक सेवांए प्रदान नहीं की जा रही है। जिसके सम्बन्ध सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है।
- जैम पोर्टल से आवश्यक उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में, अवगत कराया गया कि जैम पोर्टल पर बायर एवं एकाउन्ट की आई0डी जनरेट न हो पाने के कारण चिकित्सकोपयोगी उपकरणों/औषधियों /अन्य सामान का क्रय नहीं किया जा पा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में राज्य कार्यालय (सी0एम0एस0डी0) के सम्बन्धित अधिकारी से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाये।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र पर ब्लाक से बेहतर उपचार हेतु आशा एवं टीम के द्वारा लक्षित लाभार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में सन्दर्भित किया जाना है।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि एच.एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस में डाटा अपलोड करने से पहले प्रत्येक माह की 20 तारीख को समस्त ब्लॉको के डेटा ऑपरेटर अपना डेटा को जनपद स्तर पर सत्यापित कराएं। उसके पश्चात एच.एम. आई.एस./एम.सी.टी.एस पर अपलोड करे। ब्लाक एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले रिपोर्ट के सोर्स डाटा की हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर ही रिपोर्ट अपलोड करें, एवं उक्त डाटा को भविष्य के सन्दर्भन एवं आडिट हेतु सुरक्षित रखा जायॅ।
- प्रत्येक सप्ताह में बुधवार व शनिवार को आयोजित होने वाले नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण अधिकारी एवं एम.सी.टी.एस. ऑपरेटर का यह दायित्व होगा कि वह टीकाकरण से एक दिन पूर्व ही ग्रामवार वर्क प्लान निकालकर वैक्सीन कैरियर वाहक के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम को उपलब्ध करा दे, ताकि ए.एन.एम ड्यू लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम में टीकारण करने के साथ–साथ उसकी अद्यतन सूची सायंकाल वैक्सीन कैरियर वाहक के माध्यम से ब्लाक के सम्बन्धित डाटा इण्ट्री ऑपरेटर को एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध करा दे।
- जनपदीय क्वालिटी एश्योरेन्स कन्सल्टेण्ट द्वारा कार्यक्रम की अवधारणा से अवगत कराया गया एवं कायाकल्प के अन्तर्गत जिला संयुक्त चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय पडरौना के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –हाटा, कसया, तमकुही, फाजिल नगर, तरिया सुजानपुर, कुबेरस्थान, बिसुनपुरा, भुभही,कप्तानगंज, मोतीचक, निबुहा नौरंगिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवतहा, खड्डा तथा एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चयन किया गया है।

<u>द्वितीय दिवस दिनांक 18 मई 2018</u>

जिला संयुक्त चिकित्सालय का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के भ्रमण के दौरान पाया गया कि–

- चिकित्सालय में जल निकासी की विधिवत् व्यवस्था न होने के कारण परिसर में जल भराव की समस्या बनी रहती है। इस बारे में ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय परिसर का निर्माण लेवल से लगभग 2 फिट नीचे है। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर चिकित्सालय स्तर से प्रयास किया गया है किन्तु समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रसव कक्ष तथा जे0एस0वाई वार्ड में जल भराव एवं दीवारों पर सीलन आदि उपचार हेतु आये लाभार्थियों एवं नवजात शिशुओं के लिए घातक हो सकती है। उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में नव निर्मित

100 शैय्या युक्त एम0सी0एच0 विंग का निर्माण भी सतह से दो फिट नीचे किया गया है, तथा यहाँ भी जलभराव की समस्या रहेगी, जो कि साफ–सफाई एवं इन्फेक्शन कन्ट्रोल की दृष्टि से उचित नहीं है।

- महिला वार्ड के शौचालय में ताला लगा था। ताला खुलवाने पर पाया गया कि शौचालय में पानी आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। महिला रोगियो से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह बाहर शौचालय हेतु जाते है। शौचालय मे अक्सर ताला पड़ा रहता है। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया वह समस्त कमियों को तत्काल दूर कर जे0एस0वाई0 लाभार्थियों हेतु शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायें।
- वार्ड में साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली हुई थी।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था नहीं थी। पूछने पर पता चला कि जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है, वह समय से कूड़ा प्रबन्धन का कार्य नहीं करती है। चूंकि एजेन्सी को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से भुगतान किया जाता है, इसलिए वह अपनी मनमानी करता है एवं किसी की नहीं सुनता है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि एजेन्सी का बिल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाये, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
- जे0एस0वाई0 लाभार्थियो को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- वार्ड में रखे रजिस्टरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जानकारी पूर्णतया ठीक प्रकार से अंकित नही की गई थी। एम0सी0टी0एस0 सं0 रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है, परन्तु इस कार्य हेतु धनराशि कहाँ से प्राप्त होगी, स्पष्ट नहीं है।
- चिकित्सालय में विद्युत विभाग द्वारा Independent Feeder स्थापित नहीं किया गया है। अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु रू0 80 लाख का भुगतान किया जा चुका है, शेष धनराशि का भुगतान किया जाना है।
- PICU वार्ड में भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि एक वेंटिलेटर और फ्यूज पम्प विगत 02 माह से खराब है। यह मशीन पुष्पा इंटरप्राईजेज द्वारा वार्षिक देख रेख की जाती है तथा राज्य स्तर से अनुबंधित है। मशीन में उक्त खराबी के बारे में एजेंसी को अवगत कराया जा चुका है,किन्तु उनके द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
- PICU वार्ड में आक्सीजन पाईप की समस्या है। जिसका तात्कालिक तौर पर निराकरण किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक द्वारा निर्देशित किया गया कि वह समय से आक्सीजन पाईप की समस्या का निराकरण सुनिश्चित कर ले।
- चिकित्सालय परिसर में पार्किग का कोई स्थान निर्धारित नहीं था। रेहड़ी एवं ठेले वाले चिकित्सालय परिसर में ही सामान बेच रहे थे।
- चिकित्सालय के अंदर, ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम नहीं था जिससे उक्त दोनो स्थानों में चिकित्सकों के कमरे के अंदर–बाहर लोगो की भीड़ लगी थी जिससे इलाज के लिए आए लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
- प्रयोगशाला कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा ड्रेस कोड (एप्रेन एवं ग्लब्स) का पालन नहीं किया जा रहा था।
- प्रयोगशाला एवं एक्स रे कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा पी0पी0ई का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

- चिकित्सालय भवन में कही भी शिकायत पेटिका नही पाई गई अपितु महिला वार्ड के बाहर अग्रेजी में किसी भी शिकायत के निवारण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क किये जाने हेतु लिखा था। उक्त के सम्बन्ध में, हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को शिकायत पेटिका लगवाने हेतु कहा गया।
- चिकित्सालय के लिपिक श्री गौतम वर्मा से एन0एच0एम0 से प्राप्त बजट पर जानकारी प्राप्त की गई। उनको अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में समस्त कार्यकम वार प्राप्त बजट का ससमय नियमानुसार उपयोगित किया जाना है। कोई भी भुगतान पेंडिग नहीं रखना है विशेषकर रोगी कल्याण समिति, जे0एस0वाई0 से सम्बन्धित व्ययो का ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें। कमिटेड की गई धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के तीन माह के अंदर उपयोगित किया जाना सुनिश्चित करें।
- चिकित्सालय हेतु सी0टी0 स्कैन मशीन अनुदान स्वरूप प्राप्त हुई थी जो कि वर्तमान में खराब पड़ी है। उक्त के सम्बन्ध में बात करने पर ज्ञात हुआ कि मशीन को बनवाने हेतु प्रयास किये जा चुके हैं परन्तु बन नहीं पायी है। मशीन को बनवाने एवं संचालित (जेनरेटर व्यवस्था आदि) करने हेतु रू0 54 लाख की आवश्यकता है।
- हास्पिटल मैनेजर से वार्ता करने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय में सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में स्प्रिट क्रय करने का लाईसेंस 03 माह में समाप्त हो जाता है। इसके लिए आबकारी विभाग से लाईसेंस नवीनीकरण में समस्या आती है। इसके निराकरण हेतु हास्पिटल मैनेजर द्वारा अनुरोध किया गया कि लाईसेस का नवीनीकरण कम से कम 01 साल में कराने हेतु राज्य स्तर से प्रयास करने का अनुरोध किया गया।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेबुआ नौरगिया :–</u>

चिकित्सालय के भ्रमण के दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ नेबुआ नौरगिया चिकित्सालय परिसर का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि –

- चिकित्सालय में प्रतिदिन 6–7 तथा माह में लगभग 180 होते हैं फिर भी मात्र एक स्टाफ नर्स कार्यरत है। जनपद स्तर पर समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि संविदा के अन्तर्गत नियुक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकतानुसार तैनाती नहीं की गयी है। कुछ इकाईयों पर आवश्यकता से अधिक नर्स तैनात हैं जबकि दूरस्थ सी0एच0सी0 पर नर्सों की कमी है।
- लेबर रूम में प्रसव हेतु तीन टेबल हैं किन्तु उनके बीच गोपनीयता हेतु पर्दे की व्यवस्था नहीं थी।
- रजिस्टर में प्रसवों की जानकारी पूर्णतया ठीक प्रकार से अंकित नही की गई थी। एम0सी0टी0एस0 सं0 का विवरण रजिस्टर में दर्ज नही था। ज्ञात हुआ कि विटामिन के की आपूर्ति जिला स्तर से नहीं की जा रही है तथा किसी भी नवजात को विटामिन के नहीं दिया जा रहा है। महाप्रबन्धक द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी, नेबुआ नौरगिया को निर्देशित किया गया कि वह रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध बजट से विटामिन के की खरीद कर सकते है। रोगियो को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भी आर0के0एस0 की धनराशि का व्यय किया जा सकता है।
- चिकित्सालय में भर्ती महिला रोगियों (जे0एस0वाई0 लाभार्थियों) से पूछने पर पता चला कि उनको भोजन नहीं दिया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि खाने का टेण्डर न होने के कारण रोगियो को प्रतिदिन फल एवं अन्य पौष्टिक आहार दिए जा रहे है। जबकि लाभार्थियों द्वारा इससे इन्कार किया गया।

- चिकित्सालय के ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का शत–प्रतिशत भुगतान कराया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में टीम द्वारा ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि वह भविष्य में भी आशाओं के प्रतिपूर्ति राशि एवं जे0एस0वाई0 का भुगतान समय पर करें। साथ ही प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक को अवगत कराया गया कि माह जून, 2018 से आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 के द्वारा ही किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थानों पर बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 के विषय में होने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र का भ्रमण :–

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, ग्राम शहडौली (मदरसा मकतब), उपकेन्द्र अहलादपुर का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि–

- ए0एन0एम0 शान्ति गौड़ एवं आशा कार्यकत्री श्रीमती प्रेमलता वी0एच0एन0डी0 सत्र पर उपस्थित थीं।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का बैनर सत्र स्थल पर लगा पाया गया।
- टीकारण सम्बन्धी संदेश दिये जा रहे थे।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का माइक्रो प्लान सत्र स्थल पर उपलब्ध नहीं था।
- महिलाओं की पेट की जांच जमीन पर, चटाई पर लेटा कर की जा रही थी।

- वी0एच0एन0डी0 सत्र पर ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकत्री के पास लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट थी। उक्त ड्यू लिस्ट के अनुसार 80 प्रतिशत लाभार्थियों को सेवायें दी जा चुकी थीं। शेष 20 प्रतिशत लाभार्थियों को बुलाने हेतु आशा द्वारा घरों का भ्रमण किया जा रहा था।
- लाभार्थियों को दी जाने वाली दवाईयां टेबल पर अस्त व्यस्त दशा मे पाई गई। ए0एन0एम0 द्वारा दवाईयां ठीक प्रकार से रखवाई गई एवं भविष्य में व्यवस्थित तरीके से दवाईयां रखने की सलाह दी गई।
- वी0एच0एन0डी0 सत्र पर समस्त आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध थी।
- आशा कार्यकत्री के पास उपलब्ध ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को पेंसिल से अंकित किया गया था तथा सूचनायें (विशिष्ट परिवार संख्या) पूर्ण रूप से अंकित नहीं थी। उक्त के सम्बन्ध में बी0सी0पी0एम0 एवं आशा संगिनी श्रीमती मीना देवी को निर्देशित किया गया कि वह ब्लाक की आशाओं की पंजिकाओं का अवलोकन कर लें, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कमी पायी जाये उसे तत्काल दूर किया जाये। पंजिका की अपूर्णता के सम्बन्ध में जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को भी निर्देशित किया गया कि वह जनपद के समस्त बी0सी0पी0एम0 एवं आशा संगिनियों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी आशा की पंजिका अपूर्ण न हो एवं पंजिका पर समस्त सूचनाये पेन से अंकित की जायें।

(Parmesh Kumar Verma)
Training & Monitoring officer
NHM,UP